Bill No. 14 of 2020

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Urban Improvement (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- After the existing clause (xi) and before the existing clause (xii) of sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"(xi-a) "zonal development plan" means a plan prepared and approved in the manner as may be prescribed;".

3. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- For the existing section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**4. Contents of master plan.-** The master plan shall define the various zones into which the urban area having the population of more than one lac may be divided for the purposes of its improvement and indicate the manner in which the land in each zone is proposed to be used and shall serve as a basic pattern of framework within which the improvement schemes and the zonal development plans of the various zones may be prepared:

Provided that the preparation of zonal development plan shall not be mandatory for urban areas having population of less than one lac.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Chapter II of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 deals with master plans for the purpose of improvement of urban areas in the State. The existing section 4 of the Act relates to contents of master plan and provides that master plan shall define the various zones into which the urban area may be divided for the purpose of its improvement.

It has been felt that pace of development works in the urban areas is hampered for want of zonal development plans. There is no provision of zonal development plan in the Act, whereas cities having development authorities have provision for zonal development plans in their respective Acts. Therefore, for the purpose of improvement and development in the urban areas it has become necessary to make provision for zonal development plan in the Act.

Accordingly, section 4 of the Act is proposed to be amended to provide for zonal development plans for urban areas having population of more than one lac.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT ACT, 1959

(Act No. 35 of 1959)

XX XX XX XX XX

4. Contents of master plan.- The master plan shall-

(a) define the various zones into which the urban area for which the plan has been prepared may be divided for the purposes of its improvement and indicate the manner in which the land in each zone is proposed to be used, and

(b) serve as basic pattern of frame work within which the improvement schemes of the various zones may be prepared.

XX XX XX XX XX

2020 का विधेयक सं.14

¼प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद½

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (xi) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xii) से पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xi-क) "जोन विकास योजना" से ऐसी योजना अभिप्रेत है जो विहित रीति से तैयार और अनुमोदित की जाये;"।

3. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु.-** मास्टर प्लान में ऐसे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे जिनमें एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र को उसके सुधार के प्रयोजनों के लिए विभाजित किया जा सकेगा तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी जिससे प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है और उस ढ़ांचे के, जिसमें

विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें और जोन विकास योजनाएं तैयार की जायें, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आयेगा:

परन्तु एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों के लिए जोन विकास योजना तैयार करना आज्ञापक नहीं होगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 का अध्याय 2 राज्य में नगरीय क्षेत्रों के सुधार के प्रयोजन के लिए मास्टर प्लान के विषय में कार्यवाही किये जाने के बारे में है। अधिनियम की विद्यमान धारा 4 मास्टर प्लान की अंतर्वस्तु से संबंधित है और यह उपबंधित करती है कि मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे जिनमें नगरीय क्षेत्र को उसके सुधार के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाये।

यह महसूस किया गया है कि जोन विकास योजनाओं की कमी के कारण नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बाधित होती है। इस अधिनियम में जोन विकास योजना का कोई उपबंध नहीं है, जबकि वे शहर जिनमें विकास प्राधिकरण हैं, उनसे संबंधित अधिनियमों में जोन विकास योजना के लिए उपबंध हैं। इसलिए, नगरीय क्षेत्रों में सुधार और विकास के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम में जोन विकास योजना के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक हो गया है।

तदनुसार, एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों के लिए जोन विकास योजनाओं का उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 4 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु.- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाय तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जायं, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

XX XX XX XX XX

Bill No. 14 of 2020

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act,1959.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

(**Shanti Kumar Dhariwal**, **Minister-Incharge**)

2020 का विधेयक सं.14

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(शान्ती कुमार धारीवाल, **प्रभारी मंत्री)**